

विषय : भवन मानिचत्र समिति (ले आउट प्लान) की 46 वीं बैठक

दिनांक 23.1.2003 को 12.00 बजे, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	निर्णय
1	लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना परमानन्द नगर(स्कीम नं. 18) के अनुमोदन के संबंध में।	लक्ष्मी गृ.नि.स.स.	परमानन्द नगर (स्कीम नं. 18)	झोठवाडा	172, 173		प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि भू.स. 50 से 56 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जावे क्योंकि उक्त सभी भूखण्ड एच.टी.लाईन से प्रभावित है एवं मुक्त करने से आवासीय प्रतिशत 61.03 प्रतिशत से 68.20 प्रतिशत हो जाता है।
2.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना कल्याण कुंज के अनुमोदन के संबंध में।	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि. स.स.	कल्याण कुंज	झोठवाडा	595/1	15	प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि एजेण्डा में उल्लेखित बिन्दु स्पष्ट नहीं है। अतः जोन स्तर पर पुनः परीक्षण किया जाकर पत्रावली सचिव महोदय को प्रेषित की जावे।
3	भूखण्ड संख्या 513 योजना हनुमान नगर विस्तार के सैटबैक कम किये जाने बाबत।	मोती भवन गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर विस्तार				प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि भूखण्ड सं. 513, 538, 181 व 162 के सामने उत्तर की ओर स्थित 40 फीट चौड़ी सड़क के सामने का सैटबैक 20 फीट के स्थान पर 15 फीट रखा जावे जिससे इन भूखण्डों में

							पर्याप्त निर्माण क्षेत्र उपलब्ध हो सकें।
4.	श्री प्रेमचन्द शर्मा के भूखण्ड संख्या 9 ए के संबंध में।	श्री प्रेमचन्द शर्मा जयपुर बिल्डिंग हो.को.सो.	जवाहर नगर कॉलोनी			जोन ए-3	भूखण्ड संख्या 9-ए जवाहरपुरी कॉलोनी का उपविभाजन स्वीकृत करने तथा स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शाये सेट बैक में छूट न देने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार किया गया।							
5.	जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना आनन्द विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में।	जय चामुण्डा गृ. नि.स.स.	आनन्द विहार	रामपुरारूपा	257, 258, 259, 262, 263, 265/2	लालकोठी	प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि आनन्द विहार योजना के उत्तर में स्थित सडक को 80 फीट किया जावे व पूर्व में स्थित सडक को 60 फीट किया जावे व नियमानुसार सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावे। उपायुक्त जोन द्वारा समिति के पदाधिकारी व खातेदारों को बुलाया जावे तथा उनके द्वारा 80 फीट रोड में आने वाले भूखण्डधारियों को खाली भूखण्डों में समायोजित किया जाकर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जावे।
6.	भैरव गृ.नि.स.स.लि. की योजना मनसा नगर, सिरसी के अनुमोदन के संबंध में।	भैरव गृ.नि.स.स.	मनसा नगर	सिरसी	715/1, 606, 609	सेक्टर से बाहर।	एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस योजना मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ट्रक टर्मिनल उपयोग से प्रभावित है। अतः योजना को अस्वीकृत किया जावे। उपायुक्त जोन का निर्देश दिये गये कि मास्टर विकास योजना 2011 भू उपयोग के अनुसार ट्रक टर्मिनल के लिए प्रस्तावित उक्त भूमि पर ट्रक टर्मिनल के लिए प्रस्ताव तैयार किया जावे तथा समाचार पत्र में जनता के लिए विज्ञापित जारी कि जावे कि ट्रक टर्मिनल की भूमि में किसी के द्वारा भूखण्ड कय नही किया जावे।
7	मोती गृ.नि.स.स. की योजना 12-जी(करणी उधान) के अनुमोदन के संबंध में।	मोती गृ.नि.स.स.	12-जी(करणी उधान)			15	प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि सेक्टर रोड

→

							अलाईमेंट के बारे में आपत्ति प्रकट की है निदेशक आयोजना द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि सेक्टर रोड के बारे में आपत्ति/सुझाव 31 जनवरी 2003 तक प्राप्त किये जा रहे हैं तथा उसके पश्चात सेक्टर रोड के बारे में निर्णय लिया जावेगा कि किन सेक्टर रोड के यथावत रखा जाना है तथा किन सेक्टर रोड में बदलाव की आवश्यकता है समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सेक्टर रोड के बारे में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही योजना पुनः विचारार्थ प्रस्तुत की जावे।
8	अमृतपुरी गृ.नि.स.स. की योजना 19 एन-ए (31) के अनुमोदन के संबंध में।	अमृतपुरी गृ.नि.स. स.	शिव कौलोनी	माचेडा	393 से 395 एवं 353, 356	19 एन-ए(31)	प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम बटवारा होने के पश्चात खसरा तरमीम कार्यवायी जावे तत्पश्चात ही योजना विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत कि जावे।
9	अमृतपुरी गृ.नि.स.स. की योजना शिव कौलोनी विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।	अमृतपुरी गृ.नि.स. स.	शिव कौलोनी विस्तार	माचेडा	393 से 395 एवं 353, 356	19 एन-ए(31)	प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम बटवारा होने के पश्चात खसरा तरमीम कार्यवायी जावे तत्पश्चात ही योजना विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत कि जावे।

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)की 48वीं बैठक दिनांक 23-1-2003 को प्रातः 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।
उपस्थित निम्न प्रकार थी:-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री तकीउद्दीन	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3.	श्री हेमन्त गेरा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री ए.एन.भार्गव	व.न.नि.(बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य सचिव
अन्य अधिकारी उपस्थित				
1.	श्री नीरज तिवारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
2.	श्री वी.पी.सिंह	उपायुक्त लालकोठी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
3.	श्री एन.के.खीचा	उपायुक्त बी-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
4.	श्रीमति दुर्गा जोशी	उपायुक्त जोन डी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
5.	श्रीमती रश्मी गुप्ता	उपायुक्त बी-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
6.	श्री प्रेम शंकर	उप नगर नियोजक, प्रोजेक्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
7.	श्रीमती आशा अवस्थी	उप नगर नियोजक (एम.पी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
8.	श्री शेराराम	सहायक नगर नियोजक जोन -डी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
9.	श्री दिलीप कुमार	सहायक नगर नियोजक जोन -बी-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक 14/2/2003

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 23

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव	अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	विधायक	माननीय श्री तकीउद्दीन अहमद, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3.	विधायक	माननीय श्री अशोक तंवर, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4.	सदस्य	माननीय श्री राजेन्द्र महावर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	निजी सचिव	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	निदेशक(आयोजना)	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8.	अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)पूर्व/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9.	उपायुक्त जोन -----	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



सदस्य सचिव